



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 आषाढ़ 1944 (श10)
(सं० पटना 510) पटना, शुक्रवार, 15 जुलाई 2022

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
15 जुलाई 2022

अधिसूचना संख्या 06/2022-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 109, दिनांक 12 जुलाई 2022—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम - 12, 2017), की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 01/2017-राज्य-कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 544, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में

क. प्रारंभिक पैराग्राफ में,

- (i) खंड (v) में, "और" शब्द का लोप किया जाएगा;
- (ii) खंड (vi) में, शब्द और अंक "अनुसूची VI" के बाद, शब्द ", और" अंतःस्थापित जाएगा;
- (iii) खंड (vi) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
"(vii) अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट माल की बाबत 0.75 प्रतिशत । ";

ख. अनुसूची I में - 2.5%,-

- (i) क्रम संख्या 1 और 2 के सामने, कॉलम (3) में, "और युनिट कंटेनर " से शुरू होने वाले और " अधीन रहते हुए " के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, " जो ग्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

- (ii) क्रमांक 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित कि जाएंगी, अर्थात्: -

“9क	0403	दही, लस्सी, छाछ, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो ”;
-----	------	---

- (iii) क्रम संख्या 11 और 13 के सामने, कॉलम (3) में, “जो यूनिट कंटेनर” से शुरू होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो]” के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द “ जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 16 के सामने, कॉलम (3) में, “ और युनिट कंटेनर ” से शुरू होने वाले और “ अधीन रहते हुए ” के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द “प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 25 के सामने, कॉलम (3) में, “जो यूनिट कंटेनर” से शुरू होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो]” के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द “ जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 26 के सामने, कॉलम (3) में, “यूनिट कंटेनर ” से शुरू होने वाले और “ अधीन रहते हुए ” के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द “प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vii) क्रम संख्या 30 के सामने, कॉलम (3) में, “यूनिट कंटेनर ” से शुरू होने वाले और “ अधीन रहते हुए ” के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द “प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (viii) क्रम संख्या 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58 और 59 के सामने, कॉलम (3) में, “जो यूनिट कंटेनर” से शुरू होने वाले और “परित्याग कर दिया गया हो]” के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द “ जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो ” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ix) क्रमांक 91 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित कि जाएंगी, अर्थात्: -

“91 क	1701 या 1702	बेंत गुड़ (गुड़), पलमायरा गुड़ सहित सभी प्रकार का गुड़, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो; खांडसारी शुगर जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो”;
-------	--------------	--

- (x) क्रमांक 98 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित कि जाएंगी, अर्थात्: -

“98 क	1904	फूला हुआ चावल, जिसे आमतौर पर मुरी के नाम से जाना जाता है, चपटा या पीटा हुआ चावल, जिसे आमतौर पर चिरा के रूप में जाना जाता है, पार्च चावल, जिसे आमतौर पर खोई, पार्च धान या चीनी या गुड़ के साथ लेपित चावल के रूप में जाना जाता है, जिसे आमतौर पर मुर्की के नाम से जाना जाता है, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो”;
-------	------	---

- (xi) क्रम संख्या 101क के सामने, कॉलम (3) में, "जो कि यूनिट कंटेनरों " से शुरू होने वाले और परित्याग कर दिया गया हो]" के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द " जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो " को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xii) क्रमांक 163 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (xiii) क्रमांक 181 क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित कि जाएंगी, अर्थात्: -

"181 ख	3006	ओस्टोमी उपकरण थैली या फ्लैज, स्टोमा चिपकने वाला पेस्ट, बैरियर क्रीम, सिंचाई किट, आस्तीन, बेल्ट, माइक्रो-पोर टेप सहित";
--------	------	--

- (xiv) क्रम संख्या 182 के सामने, कॉलम (3) में, " जिन्हे इकाई आधानो में रखा गया है और जिनका ब्रांड नाम है" के लिए, शब्द "प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xv) क्रमांक 197क, 197ख, 197ग, 197घ और 197ङ और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (xvi) क्रम संख्या 215 के सामने, कॉलम (3) में, " जो कि यूनिट कंटेनर में बंद हो और जिनका ब्रांड नेम हो" के लिए, शब्द " जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो " को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xvii) क्रमांक 230, 232, 233, 234क और 234ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (xviii) क्रम संख्या 255 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"255क	9021	आर्थोपेडिक उपकरण, जैसे बैसाखी, सर्जिकलबेल्ट, और ट्रेसस; स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण; शरीर के कृत्रिम अंग; अन्य उपकरण जो किसी दोष या अक्षमता की भरपाई के लिए पहने या ढोये जाते हैं, या शरीर में प्रत्यारोपित किए जाते हैं; इंट्राओक्युलरलेंस [हियरिंग एड्स के अलावा]";
-------	------	---

- (xix) क्रम संख्या 264 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, लिस्ट 3 में, आइटम ख में, सब-आइटम 1 और तत्संबंधी प्रविष्टियों को लोप किया जायेगा;

ग. अनुसूची II में - 6%,-

- (i) क्रम संख्या 16 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द "अमरूद" के पश्चात्, शब्द "आम (कटे हुए, सूखे आम से भिन्न)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 41क के सामने, कॉलम (3) में, " जो यूनिट कंटेनर " से शुरू होने वाले और "परित्याग कर दिया गया हो]" के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द " जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो " को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 46 के सामने, कॉलम (3) में, "जो कि यूनिट कंटेनरों " से शुरू होने वाले और परित्याग कर दिया गया हो]" के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द " जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किए गए हो " को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (iv) क्रम संख्या 65 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द "गर्भनिरोधक" के पश्चात्, शब्द "और ओस्टोमी उपकरण" को अन्तः स्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रमांक 70 और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 85क और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"85ख	4107	शीर्षक 4114 के चमड़े से भिन्न चर्मपत्र-पोशाक चमड़े, गोजातीय (भैंस सहित) या घोड़े के जानवरों सहित कमाना या क्रस्टिंग के पश्चात् तैयार चमड़ा, बिना बालों के, चाहे विभाजित हो अथवा नहीं,
85ग	4112	शीर्षक 4114 के चमड़े से भिन्न चर्मपत्र-पोशाक चमड़े, भेड़ या भेड़ के बच्चे सहित, कमाना या क्रस्टिंग के पश्चात् तैयार चमड़ा, बिना ऊन के, चाहे विभाजित हो अथवा नहीं,
85घ	4113	शीर्षक 4114 के चमड़े से भिन्न, अन्य जानवरों के चर्मपत्र-पोशाक चमड़े सहित, बिना ऊन या बालों के, चाहे विभाजित हो अथवा नहीं, कमाना या क्रस्टिंग के पश्चात् तैयार किया गया चमड़ा
85ङ	4114	चामोइस (संयोजन चामोइस सहित) चमड़ा; पेटेंट लेदर और पेटेंट लैमिनेटेड लेदर; धातुयुक्त चमड़ा
85च	4115	चमड़े या चमड़े के फाइबर के आधार पर बनाया गया चमड़ा, स्लैब, शीट या पट्टी में, चाहे रोल में हो अथवा नहीं; चमड़े या कंपोजीशन लेदर के परिंस और अन्य अपशिष्ट, जो चमड़े की वस्तुओं के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं हैं; चमड़े की धूल, पाउडर और आटा";

- (vii) क्रमांक 120 और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (viii) क्रम संख्या 125 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"125क"	4905	मानचित्र और हाइड्रोग्राफिक या सभी प्रकार के समान चार्ट, जिसमें एटलस, दीवार के नक्शे, स्थलाकृतिक योजनाएं और ग्लोब, मुद्रित शामिल हैं";
--------	------	---

- (ix) क्रम संख्या 176ख के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "फ्लाइ ऐश ब्रिक्स; फ्लाइ ऐशसमुच्चय; फ्लाइ ऐश ब्लॉक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (x) क्रमांक 187, 188, 189, 192 और 193 और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (xi) क्रमांक 194 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"194क	8419 12	सोलर वॉटर हीटर और सिस्टम";
-------	---------	----------------------------

- (xii) क्रमांक 195 और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (xiii) क्रम संख्या 197 के समक्ष, कॉलम (3) में शब्दों, अंकों और प्रतीकों के लिए "शीर्षक 8437 की मशीनरी से भिन्न अंडे, फल या अन्य कृषि उपज की सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग के लिए मशीनें, [इनके भाग/हिस्से [8433 90 00]]", शब्द, "उसके हिस्से" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xiv) क्रमांक 198, 205, 217, 221, 226 और 227 और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

घ. अनुसूची III में - 9%,-

- (i) क्रम संख्या 30क के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "कोयले से टार डिस्टिल्ड, लिग्नाइट से या पीट और अन्य खनिज टार से, चाहे निर्जलित या आंशिक रूप से डिस्टिल्ड, पुनर्गठित टार सहित" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रमांक 54ख और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"54ग	3215	प्रिंटिंग स्याही, लेखन या ड्राइंग स्याही और अन्य स्याही सहित सभी सामान, चाहे संकेंद्रित या ठोस, फाउंटेन पेन स्याही, बॉल पेन स्याही";
------	------	--

- (iii) क्रम संख्या 148 के समक्ष, कॉलम (3) में, "[एसेप्टिक पैकेजिंग पेपर से भिन्न]" प्रतीकों और शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (iv) क्रम संख्या 157ख के समक्ष, कॉलम (3) में, दूसरे "स्क्रिप्स के अलावा)" के पश्चात्, शब्द"; चेक, गुम या बही के रूप में" को अन्तः स्थापित किया जाएगा;
- (v) क्रमांक 182घ के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्दों और अंकों के लिए "[फ्लाई ऐश ईटे, फ्लाई ऐश ब्लॉक, फ्लाई ऐश समुच्चय जिनमें फ्लाई ऐश कंटेंट 90 प्रतिशत या उससे अधिक हो से भिन्न " शब्द "[फ्लाई ऐश ईटों, फ्लाई ऐश समुच्चय, फ्लाई ऐश ब्लॉक से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 301क को क्रमांक 301कक के रूप में फिर से क्रमांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनः क्रमांकित किए गए क्रम संख्या 301कक से पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:

"301क	8211	काटने वाले ब्लेड के साथ चाकू, दाँतेदार अथवा नहीं (छंटनी चाकू सहित), शीर्षक 8208 के चाकू से भिन्न, और उसके लिए ब्लेड";
-------	------	---

- (vii) क्रम संख्या 302क के समक्ष, कॉलम (3) में, "[कागज के चाकू, पेंसिल शार्पनर और ब्लेड से भिन्न]" प्रतीकों और शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (viii) क्रम संख्या 302क और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"302ख	8215	चम्मच, कांटे, करछुल, स्किमर्स, केक-सर्वर, मछली-चाकू, मक्खन-चाकू, चीनी चिमटे और इसी तरह की रसोई या टेबलवेयर";
-------	------	--

(ix) क्रम संख्या 317ख के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "(i) कंक्रीट पंप [8413 40 00]; (ii) अन्य रोटरी सकारात्मक विस्थापन पंप [8413 60]; (iii) बिजली से चलने वाले पंप मुख्य रूप से पानी को संभालने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, यथा, केन्द्रापसारक पंप (क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर), गहरे ट्यूब-वेल टर्बाइन पंप, सबमर्सिबल पंप, अक्षीय प्रवाह और मिश्रित प्रवाह ऊर्ध्वाधर पंप"; प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(x) क्रम संख्या 317ख और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"317ग	8414 20 10	साइकिल पंप
317घ	8414 90 12	हवा के पुर्जे या वैक्यूम पंप और साइकिल पंप के कम्प्रेसर";

(xi) क्रम संख्या 328 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"328क	8433	शीर्षक 8437 की मशीनरी से भिन्न अंडे, फल या अन्य कृषि उत्पादों की सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग के लिए मशीनें; उसके हिस्से [8433 90 00]
328ख	8434	दूध निकालने वाली मशीनें और डेयरी मशीनरी;

(xii) क्रम संख्या 329 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"329क	8437	सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग, बीज, अनाज या सूखे फलीदार सब्जियों के लिए मशीनें; मिलिंग उद्योग में या अनाज या सूखे फलीदार सब्जियों के काम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी, जो कि कृषि प्रकार की मशीनरी और उसके पुर्जों से भिन्न है";
-------	------	--

(xiii) क्रम संख्या 371 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"371क	84 या 85	ई - अपशिष्ट स्पष्टीकरण - इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, ई-अपशिष्ट का अर्थ है ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 की अनुसूची I में सूचीबद्ध विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 338 (अ) दिनांक 23 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित), संपूर्ण या आंशिक रूप से अगर उपभोक्ता या थोक उपभोक्ता द्वारा कचरे के रूप में फेंक दिया जाता है";
-------	----------	--

(xiv) क्रम संख्या 376कग के समक्ष, कॉलम (3) में, "[ग्राइंडर के रूप में पत्थर से बने गीले ग्राइंडर से भिन्न]" प्रतीकों और शब्दों का लोप किया जाएगा;

(xv) क्रम संख्या 390 के समक्ष, कॉलम (3) में, "[प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रकाश स्रोतों से भिन्न]" प्रतीकों, शब्दों और अक्षरों का लोप किया जाएगा;

- (xvi) क्रम संख्या 406 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"406क	8807	8801 शीर्षक के माल के भाग";
-------	------	-----------------------------

- (xvii) क्रमांक 413 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "ड्राइंग, मार्किंग-आउट या गणितीय गणना उपकरण (उदाहरण के लिए, ड्राफ्टिंग मशीन, पेंसिल, प्रोटोक्लर, ड्राइंग सेट, स्लाइड रूलर्स, डिस्क कैलकुलेटर); लंबाई मापने के लिए उपकरण, हाथ में उपयोग के लिए (उदाहरण के लिए, मापने की छड़ और टेप, माइक्रोमीटर, कैलिपर), निर्दिष्ट नहीं हैं या इस अध्याय में कहीं और शामिल नहीं हैं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (xviii) क्रमांक 438क के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द, अक्षर और प्रतीक "एलईडी लाइट या एलईडी लैंप सहित जुड़नार; एलईडी (लाइट एमिटिंग डायोड) ड्राइवर और एमसीपीसीबी (मेटल कोर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड)" का लोप किया जाएगा;

ड. अनुसूची VI - 0.125% में,

- (i) क्रमांक 1 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "रफ डायमंड या सिंपली सान डायमंड, औद्योगिक या गैर-औद्योगिक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "सिंथेटिक या पुनर्निर्मित कीमती या अर्ध-कीमती पत्थरों [हीरों से भिन्न], चाहे काम किया गया हो अथवा नहीं, लेकिन स्ट्रॉन्ग, माउंटेड या सेट नहीं; परिवहन की सुविधा के लिए अस्थाई रूप से फंसे हुए अवर्गीकृत सिंथेटिक या पुनर्निर्मित कीमती या अर्ध-कीमती पत्थर [हीरे से भिन्न]; सिंथेटिक या पुनर्निर्मित हीरे, बिना काम के या केवल आरी या मोटे तौर पर आकार के" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

च. अनुसूची VI में तालिका के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"अनुसूची VII - 0.75%

क्रमांक	अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	7102	अनुसूची VI में तालिका के क्रम संख्या 1 में निर्दिष्ट वस्तुओं से भिन्न अन्य सामान
2.	7104	अनुसूची VI में तालिका के क्रम संख्या 3 में निर्दिष्ट वस्तुओं से भिन्न अन्य सामान";

छ. अनुसूची VII के पश्चात्, स्पष्टीकरण में, खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

- "(ii) 'प्री- पेकेज्ड और लेबल' वाक्यांश का अर्थ 'प्री-पैकेज्ड कमोडिटी' है जिसे विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 के उपधारा (1) में परिभाषित किया गया है, जहां विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में किये गए पैकेज जिसमें माल पहले से पैक किया गया है या उस पर सुरक्षित रूप से लेबल चिपका हुआ है।"

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-14) 06)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

15 जुलाई 2022

एस० ओ० 109, दिनांक 15 जुलाई 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-14) 06)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 15th July 2022

Notification No. 06/2022- State Tax (Rate)

S.O.109, Dated 15th July 2022—_In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 01/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 544, dated the 29th June, 2017, namely:-

1. In the said notification, -

A. in the opening paragraph,

- (i) in clause (v), the word “and” shall be omitted;
- (ii) in clause (vi), after the word and figures “Schedule VI”, the figure and word “, and” shall be inserted;
- (iii) after clause (vi), the following clause shall be inserted, namely:-
“(vii) 0.75 per cent. in respect of goods specified in Schedule VII”.

B. in Schedule I – 2.5%,

- (i) against S. Nos. 1 and 2, in column (3), for the portion beginning with the words “and put up in” and ending with the words and bracket “as in the ANNEXURE]”, the words “, pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (ii) after S. No. 9 and the entries relating thereto, following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“9A	0403	Curd, Lassi, Butter milk, pre-packaged and labelled”;
-----	------	---

- (iii) against S. Nos. 11 and 13, in column (3), for the portion beginning with the words “put up in” and ending with the words and bracket “as in the ANNEXURE]”, the words “, pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (iv) against S. No. 16, in column (3), for the portion beginning with the words “and put up in” and ending with the words “as in the ANNEXURE”, the words “, pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (v) against S. No. 25, in column (3), for the portion beginning with the words “put up in” and ending with the words and bracket “as in the ANNEXURE]”, the words “, pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (vi) against S. No. 26, in column (3), for the portion beginning with the words “put up in” and ending with the words “as in the ANNEXURE”, the words “pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (vii) against S. No. 30, in column (3), for the portion beginning with the words “put up in” and ending with the words “as in the ANNEXURE”, the words “, pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (viii) against S. Nos. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58 and 59, in column (3), for the portion beginning with the words “put up in” and ending

- with the words and bracket “as in the ANNEXURE]”, the words “, pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (ix) after S. No. 91 and the entries relating thereto, following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“91A	1701 or 1702	Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery, pre-packaged and labelled; Khandsari Sugar, pre-packaged and labelled”;
------	--------------	---

- (x) after S. No. 98 and the entries relating thereto, following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“98A	1904	Puffed rice, commonly known as Muri, flattened or beaten rice, commonly known as Chira, parched rice, commonly known as khoi, parched paddy or rice coated with sugar or gur, commonly known as Murki, pre-packaged and labelled”;
------	------	--

- (xi) against S. No. 101A, in column (3), for the portion beginning with the words “other than those put up in” and ending with the words and bracket “as in the ANNEXURE]”, the words “, other than those pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (xii) S. No. 163 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (xiii) after S. No. 181A and the entries relating thereto, following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“181B	3006	Ostomy appliances including pouch or flange, stoma adhesive paste, barrier cream, irrigator kit, sleeves, belt, micro-pore tapes”;
-------	------	--

- (xiv) against S. No. 182, in column (3), for the words “put up in unit containers and bearing a brand name”, the words “, pre-packaged and labelled.” shall be substituted;
- (xv) S. Nos. 197A, 197B, 197C, 197D and 197E and entries relating thereto shall be omitted;
- (xvi) against S. No. 215, in column (3), for the words “put up in unit container and bearing a brand name”, the words “, pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (xvii) S. Nos. 230, 232, 233, 234A and 234C and entries relating thereto shall be omitted;
- (xviii) after S. No. 255 and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“255A	9021	Orthopaedic appliances, such as crutches, surgical belts, and trusses; Splints and other fracture appliances; artificial parts of the body; other appliances which are worn or carried, or implanted in the body, to compensate for a defect or disability; intraocular lens [other than hearing aids]”;
-------	------	--

- (xix) after S. No. 264 and entries relating thereto, in List No. 3, in item (B), the sub-item (1) and the entries relating thereto shall be omitted;

C. in Schedule II – 6%, -

- (i) against S. No. 16, in column (3), after the word “guavas”, the words and brackets “, mangoes (other than mangoes sliced, dried)” shall be inserted;
- (ii) against S. No. 41A, in column (3), for the portion beginning with the words “put up in” and ending with the words and bracket “in the ANNEXURE]”, the words “, pre-packaged and labelled” shall be substituted;

- (iii) against S. No. 46, in column (3), for the portion beginning with the words “put up in” and ending with the words and bracket “in the ANNEXURE]”, the words “, pre-packaged and labelled” shall be substituted;
- (iv) against S. No. 65, in column (3), after the word “contraceptives”, the words “and Ostomy appliances” shall be inserted;
- (v) S. No.70 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (vi) after S. No. 85A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“85B	4107	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114
85C	4112	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of sheep or lamb, without wool on, whether or not split, other than leather of heading 4114
85D	4113	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of other animals, without wool or hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114
85E	4114	Chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallised leather
85F	4115	Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls; parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour”;

- (vii) S. No.120 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (viii) after S. No. 125 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely :-

“125A	4905	Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases, wall maps, topographical plans and globes, printed”;
-------	------	---

- (ix) against S. No. 176B, for the entry in column (3), the entry “Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks” shall be substituted;
- (x) S. No. 187, 188, 189, 192 and 193 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (xi) after S. No. 194 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“194A	8419 12	Solar water heater and system”;
-------	---------	---------------------------------

- (xii) S. No. 195 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (xiii) against S. No. 197, in column (3), for the words and figures “machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading 8437; parts [8433 90 00]”, the words “parts thereof” shall be substituted;
- (xiv) S. Nos. 198, 205, 217, 221, 226 and 227 and the entries relating thereto shall be omitted;

D. in Schedule III – 9%, -

- (i) against S. No. 30A, for the entry in column (3), the entry “Tar distilled from coal, from lignite or from peat and other mineral tars, whether or not

dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars” shall be substituted;

- (ii) after S. No. 54B and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“54C	3215	All Goods, including printing ink, writing or drawing ink and other inks, whether or not concentrated or solid, fountain pen ink, ball pen ink”;
------	------	--

- (iii) against S. No. 148, in column (3), the brackets and words “[Other than aseptic packaging paper]” shall be omitted;
- (iv) against S. No. 157B, in column (3), after the word and bracket “Scrips)”, the figures and words “; Cheques, loose or in book form” shall be inserted;
- (v) against S. No. 182D, in column (3), for the brackets, words and figures “[other than fly ash bricks, fly ash blocks, fly ash aggregate with 90 percent or more fly ash content]”, the brackets and words “[other than Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks]” shall be substituted;
- (vi) S. No. 301A shall be re-numbered as S. No. 301AA, and before S. No. 301AA as so re-numbered, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:

“301A	8211	Knives with cutting blades, serrated or not (including pruning knives), other than knives of heading 8208, and blades therefor”;
-------	------	--

- (vii) against S. No. 302A, in column (3), the brackets and words “[other than paper knives, pencil sharpeners and blades therefor]” shall be omitted;
- (viii) after S. No. 302A and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“302B	8215	Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs and similar kitchen or tableware”;
-------	------	---

- (ix) against S. No. 317A, for the entry in column (3), the entry “(a) Concrete pumps [8413 40 00]; (b) other rotary positive displacement pumps [8413 60]; (c) Power driven pumps primarily designed for handling water, namely, centrifugal pumps (horizontal and vertical), deep tube-well turbine pumps, submersible pumps, axial flow and mixed flow vertical pumps” shall be substituted;
- (x) after S. No. 317B and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

“317C	8414 20 10	Bicycle pumps
317D	8414 90 12	Parts of air or vacuum pumps and compressors of bicycle pumps”;

- (xi) after S. No. 328 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“328A	8433	Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading 8437; parts thereof [8433 90 00]
328B	8434	Milking machines and dairy machinery”;

- (xii) after S. No. 329 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“329A	8437	Machines for cleaning, sorting or grading, seed, grain or dried leguminous vegetables; machinery used in milling industry or for the working of cereals or dried leguminous vegetables other than farm type machinery and parts thereof”;
-------	------	---

- (xiii) after S. No. 371 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“371A	84 or 85	E-waste <i>Explanation.</i> - For the purpose of this entry, E-waste means electrical and electronic equipment listed in Schedule I of the E-Waste (Management) Rules, 2016 (published in the Gazette of India vide G.S.R. 338 (E) dated the 23rd March, 2016), whole or in part if discarded as waste by the consumer or bulk consumer”;
-------	----------	--

- (xiv) against S. No. 376AC, in column (3), the brackets and words “[other than wet grinder consisting of stone as a grinder]” shall be omitted;
- (xv) against S. No. 390, in column (3), the brackets, words and letters “[other than Light-Emitting Diode (LED) Light Sources]” shall be omitted;
- (xvi) after S. No. 406 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

“406A	8807	Parts of goods of heading 8801”;
-------	------	----------------------------------

- (xvii) against S. No. 413, for the entry in column (3), the entry “Drawing, marking-out or mathematical calculating instruments (for example, drafting machines, pantographs, protractors, drawing sets, slide rules, disc calculators); instruments for measuring length, for use in the hand (for example, measuring rods and tapes, micrometers, callipers), not specified or included elsewhere in this chapter” shall be substituted;
- (xviii) against S. No. 438A, in column (3), the letters, words, and brackets “LED lights or fixtures including LED lamps; LED (light emitting diode) driver and MCPCB (Metal Core Printed Circuit Board)” shall be omitted;

E. in Schedule VI – 0.125%,

- (i) against S. No. 1, for the entry in column (3), the entry “Rough diamonds or simply sawn diamonds, industrial or non-industrial” shall be substituted;
- (ii) against S. No. 3, for the entry in column (3), the entry “Synthetic or reconstructed precious or semiprecious stones [other than diamonds], whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded synthetic or reconstructed precious or semiprecious stones [other than diamonds], temporarily strung for convenience of transport; synthetic or reconstructed diamonds, unworked or simply sawn or roughly shaped” shall be substituted;

F. after Schedule VI and before Explanation, following entries shall be inserted, namely:-

“Schedule VII – 0.75%

S.No.	Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1.	7102	Goods other than those specified against S. No. 1 in Schedule VI
2.	7104	Goods other than those specified against S. No. 3 in Schedule VI”;

- G. after the Schedule VII, in the Explanation, for clause (ii) and the entries relating thereto, the following clause shall be substituted, namely:-
- ‘(ii) The expression ‘pre-packaged and labelled’ means a ‘pre-packaged commodity’ as defined in clause (I) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder.’.
2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.
[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-12)06)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 510-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>